

# प्रेस नोट थाना झंगहा जनपद गोरखपुर दिनांक 11.03.2026

## **जमीन बैनामा करने के नाम धोखाधड़ी कर पैसा लेने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त व 01 नफर अभियुक्ता गिरफ्तार**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चौरीचौरा के पर्यवेक्ष में व थानाध्यक्ष अनुप कुमार सिंह थाना झंगहा के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 618/2025 धारा 318(4),352,351(3) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त 1. राजू निषाद पुत्र गामा निषाद निवासी गहिरा केवटान टोला थाना झंगहा जनपद गोरखपुर व अभियुक्ता 2. संध्या देवी पत्नी राजू निषाद निवासी गहिरा केवटान टोला थाना झंगहा जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### **घटना का संक्षिप्त विवरण-**

वादी द्वारा तहरीर दिया गया कि अभियुक्तों द्वारा जमीन बैनामा करने के नाम पर विभिन्न तिथियों में बैंक के माध्यम से कुल 36 लाख 50 हजार रूपया ले लेना तथा बैनामा नहीं किया गया। वादी द्वारा बैनामा करने हेतु कहने पर गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

### **गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का विवरण-**

1. राजू निषाद पुत्र गामा निषाद निवासी गहिरा केवटान टोला थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
2. संध्या देवी पत्नी राजू निषाद निवासी गहिरा केवटान टोला थाना झंगहा जनपद गोरखपुर

### **गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-**

मु0अ0सं0 618/2025 धारा 318(4),352,351(3) बीएनएस थाना झंगहा जनपद गोरखपुर

### **गिरफ्तारी की टीम-**

1. थानाध्यक्ष अनुप कुमार सिंह थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 श्री सौरभ कुमार सिंह थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
3. हे0का0 रफीउल्लाह थाना झंगहा जनपद जनपद गोरखपुर
4. म0का0 रीतु यादव थाना झंगहा जनपद जनपद गोरखपुर